कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

श्री लादूराम बिश्नोई, व्याख्याता (गणित), राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांचोर, जालोर ने एसीपी की गणना प्रथम नियुक्ति से करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सी. याचिका संख्या 2173/2021 लादूराम बिश्नोई बनाम राज. सरकार एवं अन्य दायर की।

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने याचिका संख्या 2173/2021 लादूराम बिश्नोई बनाम राज. सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.02.21 में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारण किये जाने के निर्देश प्रदान किये है।

माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी श्री लादूराम बिश्नोई द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर कथन है कि याचिकार्थी की प्रथम नियुक्ति तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर 01.11.1988 को हुई तथा द्वितीय श्रेणी अध्यापक में सीधी भर्ती में चयन 06.01.1990 को हुआ तथा व्याख्याता पद पर डीपीसी 2013–14 को हुई। इसके अनुसार याचिकार्थी को प्रथम एसीपी जुलाई 2000 (10 वर्ष) दूसरी एसीपी जुलाई 2008 (18 वर्ष) तथा तीसरी एसीपी जुलाई 2020 (30 वर्ष पर) मिली थी जबकि प्रथम नियुक्ति तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर जिला परिषद द्वारा चयनित करके दिनांक 01.11.1988 को हुई तथा एसीपी भी प्रथम नियुक्ति तिथि से दिलवाये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की है।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.21 एवं राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। कार्मिक के प्रार्थना पत्र के अनुसार सीधी भर्ती से द्वितीय श्रेणी अध्यापक पद पर दिनांक 06.01.1990 को कार्यग्रहण किया अतः द्वितीय श्रेणी अध्यापक पद पर नियमित तिथि से चयनित वेतनमान व एसीपी देय है चूंकि प्रकरण में याचिकार्थी के 27 वर्ष से पूर्व ही व्याख्याता पद (राज्य सेवा) पर पदोन्नति होने के कारण अध्यापक द्वितीय श्रेणी पद पर नियमित नियुक्ति तिथि से 30 वर्ष की सेवा तृतीय एसीपी देय है। वित्त विभाग की अधिसूचना/परिपत्र दिनांक 31.12.2019 बिन्दु संख्या 11(II) के अनुसार एसीपी की गणना सीधी भर्ती में कार्यग्रहण करने की दिनांक से देय है। प्रस्तुत प्रकरण में द्वितीय श्रेणी अध्यापक पद पर नियमित तिथि से ही चयनित वेतनमान/एसीपी देय है।

अतः याचिकार्थी द्वारा प्रथम नियुक्ति तिथि से एसीपी गणना की मांग नियमानुकुल नहीं होने के कारण याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–3/भौगकृ/अभ्यावेदन/लादूराम /या.सं. 2173/2021/09 दिनांकः 04/08/21

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाचार्य
9. संबंधित कार्मिक
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

D:/17.12.16/desktop/court